प्रेस विज्ञप्ति

07-02-2024

प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पवन कुमार शर्मा से संबंधित 2.15 करोड़ रुपए की दो अचल संपत्तियों को अंनतिम रूप से जब्त किया है। जब्त की गई परिसंपत्तियां दिल्ली में अवस्थित हैं और ये वाणिज्यिक/आवासीय भवनों के रूप में हैं। ये परिसंपत्तियां मैसर्स गोविंदा इंटरनेशनल के व्यवसाय के नियंत्रक/प्रबंधक/ऋण गारंटीकर्ता/वास्तविक लाभकारी मालिक पवन कुमार शर्मा के नाम पर पंजीकृत हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने मैसर्स गोविंदा इंटरनेशनल के मालिक पवन कुमार शर्मा और उनके एक रिश्तेदार केशव जोशी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत सीबीआई, देहरादून द्वारा दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच से पता चला कि फर्म मैसर्स गोविंदा इंटरनेशनल ने 31/03/2017 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गाजियाबाद से 15 करोड़ रुपए के नकद ऋण का लाभ लिया। नकद ऋण (सीसी) सीमा का लाभ उठाने के लिए, फर्म के स्टॉक को गिरवी रखा गया था और उक्त क्रेडिट सुविधा के विरुद्ध संपार्श्विक दिया गया था। आरोपी ने विश्वास का उल्लंघन किया और बैंक की जानकारी के बिना गिरवी रखे गए सामान को बेच दिया। उन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया और बिक्री से प्राप्त रकम को अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया, जिससे बैंक को अनुचित वित्तीय नुकसान हुआ। मैसर्स गोविंदा इंटरनेशनल का खाता नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) बन गया और जिसे आरबीआई के द्वारा बैंक धोखाधड़ी घोषित किया गया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।